रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED NO. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 1982/चैत्र 1, 1904
No. 104] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 1982/CHAITRA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1982

का.आ. 161(अ).—विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 में संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 880(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 1981 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) तारीख 3 दिसम्बर, 1981 पृष्ठ 1525-1526 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी ;

और उक्त राजपत्र 8 जनवरी, 1982 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) दूसरा संशोधन नियम, 1982 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विकास परिषद् (प्रक्रिया सम्बन्धी) नियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) 'अध्यक्ष' से इन नियमों के अधीन नियुक्त या निर्वाचित किया गया कोई अध्यक्ष अभिप्रेत है ;"

(2) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) 'सदस्य-सचिव' से किसी विकास परिषद् के सचिव के कृत्यों को करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है ;" और

(3) खण्ड (ङ) का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. सदस्यों की संख्या—प्रत्येक परिषद् में पच्चीस से अनधिक सदस्य होंगे, जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष और सचिव-सदस्य भी है,"

4. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. अध्यक्ष :—(1) किसी परिषद् का पहला अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा उस परिषद् के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा और अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और तत्पश्चात् अध्यक्ष या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा या उस परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा जैसा भी प्रत्येक अवसर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए,

(2) अध्यक्ष, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के सचिव को सम्बोधित पत्र द्वारा, उसकी एक प्रति सम्बद्ध विकास परिषद् के सदस्य सचिव को भेज कर, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा ।

(3) अध्यक्ष के पद से ऐसे त्यागपत्र देने से हुई रिक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद् के किसी अन्य सदस्य की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करके भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष उतने समय तक पद धारण करेगा, जितने समय तक वह अध्यक्ष जिसका स्थान वह भरता है, यदि उसने त्यागपत्र न दिया होता तो पद धारण करने का हकदार होता ।"

5. उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (2) और उप-नियम (4) में, "अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा ।

6. उक्त नियमों के नियम 12 में—

(1) उपनियम (1) में, "अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा ;

(2) उपनियम (3) में, "या उपाध्यक्ष की, जहां बैठक की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष कर रहा है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

7. उक्त नियमों के नियम 13 में,—

(1) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष निर्वाचित कर लेंगे ;"

(2) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होगा और परिषद् द्वारा विनिश्चय किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा ।"

8. उक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) में "या उपाध्यक्ष" शब्दों का, जहां कहीं भी वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.नि.आ. 259, तारीख 19 फरवरी, 1953 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, 1953 भाग 2, खण्ड 3, तारीख 19 सितम्बर, 1953, पृष्ठ 467 से 469 पर प्रकाशित किए गए थे ।

उसके पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 42(अ), तारीख 21 जनवरी, 1981 द्वारा उनका संशोधन किया, देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, 1981 भाग 2, खण्ड 3(2) तारीख 21 जनवरी, 1981, पृष्ठ 94 और 95 ।

[फा. सं. 1/1/81-एल.पी.]

एस. एल. कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1982

S.O. 161(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Development Councils (Procedural) Rules, 1952 were published as required by sub-section (1) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), at pages 1526-1527 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3-Sub-section (ii), dated the 3rd December, 1981 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 880(E), dated the 3rd December, 1981, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 8th January, 1982 ;

And whereas, no objections or suggestions have been received by the Central Government on the said draft ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, namely :—

1. (1) These rules may be called the Development Councils (Procedural) Second Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952 (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

'(a) "Chairman" means a Chairman appointed or elected under these rules ;

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

'(c) "Member-Secretary" means the officer appointed by the Central Government to carry on the functions of the Security to a Development Council;' and

(iii) clause (e) shall be omitted.

3. For rule 3 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Number of members.—Every Council shall consist of not more than twenty five members including the Chairman and the Member-Secretary.".

4. For rule 4 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Chairman.—(1) The first Chairman of a Council shall be appointed by the Central Government from amongst the members of that Council and shall hold office for a period of two years from the date of his appointment, and thereafter the Chairman shall be either nominated by the Central Government or elected by the members of that Council as may be decided by the Central Government on each occasion.

(2) The Chairman may resign his office by a letter addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Industry (Department of Industrial Development) with a copy endorsed to the Member-Secretary to the Development Council concerned.

(3) The vacancy caused in the office of the Chairman by such resignation shall be filled by appointment by the Central Government of another member of the Council as Chairman, and the Chairman so appointed shall hold office for so long as the Chairman whose place he fills would have been entitled to hold the office, had he not resigned.".

5. In rule 10 of the said rules, in sub-rule (2) and sub-rule (4), for the words "the Chairman or, in the absence of the Chairman, Vice-Chairman", wherever they occur, the word "Chairman" shall be substituted.

6. In rule 12 of the said rules, —

(i) in sub-rule (1), for the words "Chairman or, in the absence of the Chairman, Vice-Chairman", the word "Chairman" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), the words "or where the Vice-Chairman is presiding over the meeting, of the Vice-Chairman' shall be omitted.

7. In rule 13 of the said rules,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The Chairman shall preside over the meetings of a Council and in his absence the members present shall elect a Chairman from amongst themselves;"

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) Each member of a Council shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be decided by a Council, the Chairman or the member presiding shall have a casting vote.".

8. In rule 15 of the said rules, in sub-rule (1), the words "or Vice-Chairman", wherever they occur, shall be omitted.

NOTE : Principal rules published vide notification No. S.R.O. 359, dated the 19th February, 1953, Gazette of India, Extraordinary, 1953, Part II-Section 3, dated the 19th September, 1953, pages 467-469.

Subsequently amended by notification No. S.O. 42(E), dated the 21st January, 1981, Gazette of India, Extraordinary, 1981. Part-II Section 3(ii) dated the 21st January, 1981, pages 94-95.

[F. No. 1|1|81-LP]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982